H.P POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(A State Government Undertaking)

Barowalias House, Khalini, Shimla-2

Ph: 0177-2625784, Fax: 2626284

PUBLIC NOTICE

This is for the information of all concerned public at large that HP Govt. has accorded for diversion of 11.45 hac. of forest land for non forest purposes namely for the construction of 220 kV S/C Transmission Line on D/C Towers from 33/220 kV GIS Substation Karian to PGCL Power pooling Station at Rajera,within the jurisdiction of Chamba forest Division Distt.Chamba,H.P. favour of Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. in Chamba,H.P District of Himachal Pradesh, Vide. No. FFE-BF(2)-3/2013(FCA) DATED 6.3.2013. terms and conditions as imposed by Ministry of Environment and Forests, Govt. of India while Granting approval for diversion of forest land Vide Letter No., F.No.9HPC275/2011-CHA dated 21st January 2013 have been fully incorporated in this sanction letter dated 6.3.2013, the sanction aforesaid is reproduced in verbatim as below:-

General Manager (Project)

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013(FCA) **Order** Dated Shimla-171002, the

विषय :- **Diversion of 11.45 hectare of forest land in favour of HPPTCL for the construction of 220 kV S/C Transmission Line of D/C towers from 33/220 kV GIS Sub Station Karrian to PGCL Power Pooling Station at Rajera, within the jurisdiction of Chamba Forest Division & Distt. Chamba , Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPC273/2011 – CHA दिनांक 21-01-2013 के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 11.45 hectare वन भूमि को 220 kV S/C Transmission line of D/C Tower from 33/220 kV GIS Sub Station Karian to PGCIL Power Pooling Station at Rajera, within the jurisdiction of Chamba Forest Division & Distt. Chamba , Himachal Pradesh, में निम्न शर्तो पर हिमाचल प्रदेश पावर संचार निगम (HPPTCL) को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 हालांकि इस प्रस्ताव के ROW में कुल 203 (दो सौ तीन) वृक्ष खड़े है लेकिन वही वृक्ष काटे जायेंगे जो Conductor के नीचे आते है। काटे जाने वाले वृक्षों की Marking अलग से होगी और शेष बचे ROW में खड़े वृक्षों की Marking अलग होगी। Conductor के नीचे जो बहुत आवश्यक हैं वही वृक्ष काटे जायेंगे। शेष ROW में खड़े वृक्षों की जरुरत के मुताबिक केवल कांट - छांट की जायेगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Bandhal DPF में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 40,42,408/-(चालीस लाख बियालीस हजार चार सौ आठ मात्र) की राशि से कुल 23.00 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि मे पौधे लगााकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढ्तापूर्वक किये जायेंगे।

5 मार्गाधिकार की चौड़ाई 35 मीटर से अधिक नहीं होगी।

6 प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टैंशन सटरिंजिंग उपकरण लगाने के लिए 3 मीटर चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु सटरिंजिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया गया है। कंडक्टर तथा पेडों के बीच का फासला कम से कम 4.0 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेडों को कांट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाईन की मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों मुख्य रुप से औषधीय पौधों की प्लांटेशन प्रयोक्ता एजेंसी खर्च पर की जायेगी।

7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव मे दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

8 यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / व्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

9 उपरोक्त सब-स्टेशन व विद्युत संचार लाईन के निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिशिचित करेगी।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the,... 6/2/13